न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 105/2019

दायर दिनांक :– 23.10.2019

निर्णय दिनांक :– 23.03.2022

उनवान

01. गीता देवी पत्नी मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—वादीया

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार महोदय बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर अलवर राज0

—प्रतिवादी असल

वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीयाः– श्री मुकेश सिंह एड.

02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 1347 रकबा 0.0220 हैक्टेयर, 1350 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, 1335 रकबा 0.4500 हैक्टेयर वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 की आराजी है। वादीया का पति मेघसिंह अपने भाईयो जयसिंह व जगमाल सिंह पुत्रान दुर्जन सिंह के साथ बहिस्सा बराबर यानी हिस्सा

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

1/3 का काबिज खातेदार काश्तकार रहा है। जो जमाबन्दी सम्वत 2060 से साबित है। वादीया का सही व वास्तविक नाम गीता देवी है तथा वादीया के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड मे उसका सही नाम गीता देवी ही है परन्तु वादीया के पति मेघसिंह की मृत्यु के बाद उसका विरासत नामान्तकरण संख्या 1621 दिनांक 02.06.2006 में प्रतिवादी नम्बर 01 के अधिनस्थ कर्मचारी तत्कालीन हल्का पटवारी बाबरिया ने सजरा वारीसान मे वादीया का नाम गीता देवी के बजाय दीक्षा देवी बिना देखे बिना वादीया को सुने नामान्तकरण स्वीकार कर दिया तथा नामान्तकरण संख्या 1621 का जमाबन्दी सम्वत 2060 अमल कर दिया। तभी से आज दिन तक उपरोक्त राजस्व रिकार्ड मे वादीया का नाम गलत रिपीट होता आ रहा है। जो गलत होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 11.10.2019 को वादीया पटवारी हल्का से मिली तो वादीया को राजस्व रिकार्ड मे उनके नाम का गलत अंकन होने की जानकारी हुई। वादीया ने राजस्व रिकार्ड निकलवा कर प्रतिवादी से उसका सही नाम दर्ज करने का निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया। इसलिए यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। जो वाद अन्दर मियाद पेश है। इस प्रकार वाद में वर्णित आराजी में दर्ज वादीया का नाम दीक्षा देवी के बजाय गीता देवी दुरूस्त किये जाने की घोषणा फरमायी जावे।

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वाद पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी स्वयं अपने वाद को सिद्ध करे तथा न्यायालय जो भी आदेश प्रदान करें तो हमें कोई एतराज नहीं है जिसकी पालना की जावेगी।

वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रर्दश 01 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 156, प्रदर्श 02 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 152, प्रदर्श 03 नकल जमाबन्दी सम्वत 2060, प्रदर्श 04 नकल नामान्तकरण संख्या 1621, प्रदर्श 05ए फोटो प्रति आधार कार्ड गीता देवी पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यु 01 गीता देवी, पी डब्ल्यु 02 रविन्द्र, पी डब्ल्यु 03 सुरेश कुमार के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई।

हमने पत्रावली का व वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा शपथ पत्रों का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। वादीया ने अपने वाद के समर्थन में पेश किये दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड व मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से यह साबित होता है कि वादिया

सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

के पति की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादिया का नाम गीता देवी के बजाय दीक्षा देवी दर्ज कर स्वीकार कर दिया जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः समस्त विवेचन के बाद वादीया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद आंशिक स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 1347 रकबा 0.0220 हैक्टेयर, 1350 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, 1335 रकबा 0.4500 हैक्टेयर वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 में दर्ज खातेदार दीक्षा देवी पत्नी मेघसिंह के बजाय गीता देवी पत्नी मेघसिंह दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 105/2019

दायर दिनांक :– 23.10.2019

निर्णय दिनांक :– 23.03.2022

उनवान

01. गीता देवी पत्नी मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—–वादीया

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार महोदय बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर अलवर राज0

—–प्रतिवादी असल

वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीयाः– श्री मुकेश सिंह एड.
02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

पर्चा डिक्री

अतः वादीया का वाद आंशिक स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 1347 रकबा 0.0220 हैक्टेयर, 1350 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, 1335 रकबा 0.4500 हैक्टेयर वाके मौजा

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 में दर्ज खातेदार दीक्षा देवी पत्नी मेघसिंह के बजाय गीता देवी पत्नी मेघसिंह दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)
बानसूर अलवर